प्रेषक,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

सेवा में,

आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी,
क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान,
उत्तर प्रदेश(संबंधित जनपद)।

पत्रांकः ७३१ /1/प्रशि0/बजट (4)/2012–13 **दिनांकः १९ मार्च, 2013**

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–2013 में जारी बजट में आंशिक संशोधन विषयक।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांकः 796/1/प्रशि0/बजट(4)/2012–13, दिनांकः 15 मार्च, 2013 द्वारा जारी बजट आवंटन रू0 8,13,000.00 (रू0 आठ लाख तेरह हजार मात्र) में त्रुटिवश पूर्व आवंटन एवं प्रगामी योग में अंकित संख्यायें गलत अंकित हो गयी है। संशोधित पूर्व आवंटन एवं प्रगामी योग निम्नवत् अंकित किया जा रहा हैः–

(धनराशि हजार रू0 में)

संस्थान का नाम	पूर्व आवंटन का योग	प्रगामी योग
1–बस्ती	1679	1801
2–बहराइच	3385	3399
3–बाँदा	2654	2683
4–बाराबंकी	4018	4048
5–गोरखपुर	12937	12954
6–हमीरपुर	3336	3386
7–रायबरेली	10609	10653
8–कानपुर	4677	4713
9–फैजाबाद	10839	10876
10–सीतापुर	3100	3416
11–बख्शी का तालाब, लखनऊ	21716	21821
12–लखीमपुर	3094	3107
13–मीरजापुर	2685	2715

उक्त आवंटन आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

वरदानी

(डा0 वरदानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

सेवा में,

आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी,
क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान,
उत्तर प्रदेश(संबंधित जनपद)।

पत्रांकः 832 /1/प्रशि0/बजट (4)/2012–13 **दिनांकः १९ मार्च, 2013**

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–2013 में जारी बजट में आंशिक संशोधन विषयक।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांकः 688/1/प्रशि0/बजट(4)/2012–13, दिनांकः 07 मार्च, 2013 द्वारा जारी बजट आवंटन रू0 80,999,000.00 (रू0 अस्सी लाख निन्यानवें हजार मात्र) में त्रुटिवश मानक मद–46–कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय अंकित हो गया है। इसके स्थान पर इसे मानक मद 47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय पढा जाये।

उक्त आवंटन आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

वरदानी

(डा0 वरदानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते महानिदेशक

पत्रांकः 832/1/प्रशि0/बजट (4)/2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया उक्तानुसार संशोधन के अनुसार आहरण करने का कष्ट करें।

वरदानी

(डा0 वरदानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांकः ४३१ /1/प्रशि0/बजट (4)/2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया उक्तानुसार संशोधन के अनुसार आहरण करने का कष्ट करें।

वरदानी

(डा0 वरदानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी